भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2951
उत्तर देने की तारीख : 06.08.2025

अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

2951. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आबंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन योजनाओं के लिए धनराशि जारी करने या इनके कार्यान्वयन में, विशेष रूप से केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में, कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) अल्पसंख्यक लाभार्थियों की पहचान करने और पारदर्शिता एवं समावेशन सुनिश्चित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और
(ङ) क्या सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अवसरों तक उनकी पहुंच संबंधी बढ़ती चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कोई नई योजना लागू करने या नीति में संशोधन करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): सरकार अल्पसंख्यकों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमज़ोर और समाज के वंचित वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों, अर्थात् मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी और सिख, के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में निम्नलिखित योजनाओं को विशेष रूप से लागू करता है। ये योजनाएँ इस प्रकार हैं:

छात्रवृत्ति योजनाएँ

यह मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित तीन छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित करता है:

i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना;
ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना; और
iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

मंत्रालय की उपर्युक्त सभी छात्रवृत्ति योजनाएँ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी 2.0) के नए संस्करण के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। छात्रवृत्ति राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। हालाँकि, इन छात्रवृत्ति योजनाओं को 2021-22 के बाद से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

"प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" (PMJVK), एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसका उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केन्द्रित परियोजनाएं, शिक्षा, पेयजल एवं आपूर्ति, स्वच्छता और खेल जैसे क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।

यह योजना एक मांग-आधारित योजना है, इसलिए पीएमजेवीके के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों-वार आवंटन नहीं किया जाता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	जारी की गई राशि (लाख रुपए में)
1.	असम	12900.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	7300.00
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	875.00
4.	हिमाचल प्रदेश	500.00
5.	कर्नाटक	12533.75
6.	लद्दाख	1598.00
7.	मणिपुर	6875.00
8.	मिज़ोरम	7319.00
9.	महाराष्ट्र	2000.00
10.	नागालैंड	5600.00
11.	पंजाब	10457.7
12.	राजस्थान	2350.00
13.	सिक्किम	14998.00
14.	त्रिपुरा	1750.00
15.	तमिलनाडु	7013.00
16.	उत्तर प्रदेश	3500.00
17.	उत्तराखंड	11796.00

PMJVK एक सामुदायिक बुनियादी ढांचा विकास योजना है और इसलिए विकसित बुनियादी ढांचा संबंधित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की संपूर्ण जनसंख्या के लाभ के लिए है। PMJVK योजना के तहत धनराशि जारी करने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि राज्य को व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के नियमों का पालन करना होगा। उक्त प्रणाली सरकारी धन का उचित और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करती है।

PMJVK योजना अब देश भर के सभी जिलों में लागू है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) उन क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचा परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं जहाँ 15 किलोमीटर के दायरे में अल्पसंख्यक आबादी 25% से अधिक है।

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो पांच पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात् 'सीखो और कमाओ', नई मंजिल', 'नई रोशनी', 'उस्ताद' और 'हमारी धरोहर' योजनाओं को एकीकृत करती है।

यह योजना निम्नलिखित के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान पर केंद्रित है:

i. कौशल और प्रशिक्षण (गैर-पारंपरिक और पारंपरिक);

ii. महिला नेतृत्व और उद्यमशीलता;

iii. शिक्षा (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से);

iv. बुनियादी ढांचा विकास (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से)

यह योजना लाभार्थियों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा प्रदत्त ऋण कार्यक्रमों से जोड़कर ऋण संपर्क की सुविधा भी प्रदान करती है।

इस योजना के अंतर्गत हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कोट्टायम, केरल को एक परियोजना आवंटित की गई है।

इन योजनाओं को केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के रूप में क्रियान्वित किया गया और राज्यों को कोई वित्तीय लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया। इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

कौशल योजनाओं के लिए आवंटन (करोड़ रुपये में) को दर्शाने वाला विवरण					
	सीखो और कमाओ	**नई मंज़िल**	**उस्ताद**	**नई रोशनी**	**PM VIKAS**
वर्ष	**बजट अनुमान**	**बजट अनुमान**	**बजट अनुमान**	**बजट अनुमान**	**बजट अनुमान**
2022-23	235.41	46	47	2.5	0
2023-24	0	0.1	0.1	0.1	290.15
2024-25	0	0	0	0	255.43
कुल योग	**235.41**	**46.1**	**47.1**	**2.6**	**545.58**

इसके अलावा, PM VIKAS योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान PM VIKAS योजना दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार की जाती है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC)

एनएमडीएफसी देश भर में आय सृजन उद्यमों के लिए रियायती ऋण और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्रदान करके अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के "पिछड़े वर्गों" के शैक्षिक सशक्तीकरण सहित उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण हेतु अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करता है। एनएमडीएफसी की योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, पंजाब ग्रामीण बैंक और केनरा बैंक द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएमडीएफसी में इक्विटी अंशदान के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित/जारी की गई धनराशि और एनएमडीएफसी द्वारा अपने एससीए, पंजाब ग्रामीण बैंक और केनरा बैंक के माध्यम से वितरित रियायती ऋण का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**एनएमडीएफसी में इक्विटी अंशदान के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित/जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)**	**एनएमडीएफसी द्वारा संवितरित रियायती ऋण (करोड़ रुपये में)**
2022-23	159.00	881.70
2023-24	61.00	765.45
2024-25	शून्य	860.44

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएमडीएफसी द्वारा वितरित रियायती ऋण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

एनएमडीएफसी, क्षेत्र स्तर की मांग, पिछली धनराशि उपयोग की स्थिति, पुनर्भुगतान की स्थिति और एनएमडीएफसी के पास निधि की उपलब्धता के आधार पर संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां (SCA) को धनराशि जारी करता है। अब तक एनएमडीएफसी ने केरल जैसे दक्षिणी राज्यों सहित संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर उपर्युक्त मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां (SCA) को धनराशि जारी की है।

एनएमडीएफसी योजनाओं के अंतर्गत पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
2. क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता मानदंड ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है। क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत, 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की उच्चतर वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति उच्च ब्याज दर पर अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(ङ): किसी नई योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

*****

अनुबंध- I

पिछले 3 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एनएमडीएफसी द्वारा वितरित रियायती ऋण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वितरित रियायती ऋण की राशि (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार	0.02
2	आंध्र प्रदेश	8.52
3	अरुणाचल प्रदेश	1.90
4	असम	0.67
5	बिहार	0.28
6	चंडीगढ़	0.20
7	छत्तीसगढ़	0.03
8	दिल्ली	0.25
9	गोवा	1.34
10	गुजरात	1.40
11	हरियाणा	17.17
12	हिमाचल प्रदेश	36.30
13	झारखंड	3.40
14	कर्नाटक	5.18
15	जम्मू और कश्मीर	120.34
16	लद्दाख	1.00
17	लक्षद्वीप	0.03
18	केरल	975.75
19	मध्य प्रदेश	0.02
20	महाराष्ट्र	76.15
21	मणिपुर	0.03
22	मेघालय	0.03
23	मिज़ोरम	6.87
24	नागालैंड	0.03
25	ओडिशा	0.06
26	पुदुचेरी	0.02
27	पंजाब	13.42
28	राजस्थान	10.66
29	सिक्किम	0.20
30	तमिलनाडु	190.83
31	तेलंगाना	6.34
32	त्रिपुरा	0.04
33	उत्तर प्रदेश	4.03
34	उत्तराखंड	0.53
35	पश्चिम बंगाल	1024.55
कुल		**2507.60**

*****